न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
अन्नय विशेष उत्पाद न्यायालय,प्रथम, लखीसराय।
ए0बी0पी0 संख्या–939/2026
रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–110/2026
लालो कुमार भुईयां बनाम् राज्य
धारा–30(a) एवं 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन–श्री रामानंद ठाकुर (प्रभारी)
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री शिवम आनंद।

15.07.2026

आदेश

आवेदक अभियुक्त **लालो कुमार भुईयां, पिता–बालदेव भुईयां** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–110/2026, अंतर्गत धारा–30(a) एवं 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है, को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजन को प्रदान की गयी है।

इस काण्ड का सारांश इस प्रकार है कि सूचक स0अ0नि0 पंकज कुमार सिंह हैं, जो घटना के समय रामगढ़चौक थाना में पदस्थापित थे। दिनांक–01.06.2026 को सूचक गश्ती के क्रम में समय 22:40 बजे रामगढ़चौक पहुंचे तो देखे कि एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार पुलिस वाहन को देखकर घबराकर मोटरसाइकिल से भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया तथा नाम व पता पूछा गया तो अपना–अपना नाम क्रमशः 1. सरोज राम पिता–भगीरथ राम, 2. धर्मेन्द्र कुमार पिता–तेघन मांझी एवं 3. प्रदीप मांझी पिता–टीटो मांझी सभी सा0–शहसरामा, थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई बताया। नाम व पता बताने के क्रम में उक्त तीनों पकड़ाये व्यक्तियों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। उसके बाद विधिवत् तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल रजि0 नं0–BR53J7354 का जांच के क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति धर्मेन्द्र कुमार के पास से एक हरा रंग के दो लीटर क्षमता वाले पलास्टिक के बोतल बरामद हुआ जिसमें 02 लीटर द्रव्य से भरा हुआ था, जिसे ढक्कन को खोलकर सूंघने पर शराब जैसा दुर्गन्ध आया। तत्पश्चात् गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को चिकित्सीय जांच हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़चौक लाया गया, जहां चिकित्सक महोदय के सामने ब्रेथ–एलनाइजर मशीन से जांच किया गया, जिसमें सरोज कुमार का जांच रिपोर्ट बी0ए0सी0 26एम.जी./100एम.एल., धर्मेन्द्र कुमार का जांच रिपोर्ट बी0ए0सी0 19एम.जी./100एम.एल. एवं प्रदीप मांझी का जांच रिपोर्ट बी0ए0सी0 61एम.जी./100एम.एल. आया, जांच पश्चात् चिकित्सक महोदय द्वारा शराब पीने की पुष्टि की गई।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता इस जमानत के द्वारा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा–482 एवं 483 पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त को इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है, न ही आवेदक अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद

लगातार......
15.07.2026

Web page not official

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
अन्नय विशेष उत्पाद न्यायालय,प्रथम, लखीसराय।
ए0बी0पी0 संख्या–939/2026
रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–110/2026
लालो कुमार भुईयां बनाम् राज्य
धारा–30(a) एवं 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन–श्री रामानंद ठाकुर (प्रभारी)
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री शिवम आनंद।

थे। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र देने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि इनको जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी (कंडिका–01 से कंडिका–41 तक) का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका–40 में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। **प्रस्तुत वाद में जब्ती सूची के अनुसार मोटरसाइकिल रजि0 नं0–BR53J7354 से ही कुल 02 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की गई है, जिसका प्रथम दृष्टतया समर्थन साक्षियों के बयानों में कांड दैनिकी के कंडिका–03, 04 एवं 05 में किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–22 से यह भी स्पष्ट होता है कि जब्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0–BR53J7354, चेचिस नं0–MD2B68BXITPM17228, इंजन नं0–DHXPTM94274 के मलिक आवेदक अभियुक्त ही है। प्रस्तुत वाद अनुसंधान लंबित है।**

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–76(2) के आलोक में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय, पटना के Cr. Appeal (S.J.) No.-431/20 (राम विनय यादव बनाम् बिहार राज्य) में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए इस अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार, आवेदक अभियुक्त **लालो कुमार भुईयां, पिता–बालदेव भुईयां** का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज एवं निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित मूल अभिलेख में संलग्न करें एवं नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

ह0/–
(सिद्धार्थ पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ–सह–
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम,
लखीसराय।
दिनांक–15.07.2026

* संबधित मूल अभिलेख में संलग्न करने हेतु कॉपी।

(सिद्धार्थ पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ–सह–
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम,
लखीसराय।
दिनांक–15.07.2026

web page not official

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
अन्नय विशेष उत्पाद न्यायालय,प्रथम, लखीसराय।
ए0बी0पी0 संख्या–939/2026
रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–110/2026
लालो कुमार भुईयां बनाम् राज्य
धारा–30(a) एवं 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन–श्री रामानंद ठाकुर (प्रभारी)
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री शिवम आनंद।

web page not official